

विमला देवी चिरंजीलाल - 17/2021

दिनांक

आज्ञा पत्र

वकील अपीलान्त न उपस्थित होकर
जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः
अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील
अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे
अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।
फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की
जाती है निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण
फसल शुमार होकर नम्बर से कट होकर बाद तरतीब
शकमील दाखिल टफन हो।

not buss

10.1.25

10.1.25

वकील अपीलान्त न उपस्थित होकर
जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः
अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील
अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे
अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।
फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की
जाती है निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण
फसल शुमार होकर नम्बर से कट होकर बाद तरतीब
शकमील दाखिल टफन हो।



भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजरव अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प इन्डान)